

**न्यायालय:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, गोहद,**  
**जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**  
**(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)**

**विशेष सत्र प्रकरण क० 159/12**  
**संस्थापन दिनांक-13-09-2012**

म०प्र०म०क्षे०विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड मालनपुर  
द्वारा-कनिष्ठ यंत्री श्री हरीश मेहता

.....परिवादी

**विरुद्ध**

श्रीकृष्ण जाटव पुत्र गोधन सिंह जाटव, निवासी जाटव  
मोहल्ला पुरानी बस्ती मालनपुर, थाना मालनपुर जिला  
भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

परिवादी पक्ष द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
अभियुक्त द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

**// नि र्ण य //**

**(आज दिनांक 31.01.2018 को घोषित)**

**01.** अभियुक्त द्वारा परिवादी म०प्र०म०क्षे०वि०वि० कंपनी लिमिटेड मालनपुर (अत्र पश्चात् केवल परिवादी कंपनी) से विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-4984 घरेलू उपयोग हेतु लिया था व उसके द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि जमा न करने के कारण दिनांक 07.08.2012 को परिवादी कंपनी द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया था, लेकिन दिनांक 16.08.2012 को 11:40 बजे, अभियुक्त का घर जाटव मोहल्ला पुरानी बस्ती थाना मालनपुर में चैकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से कंपनी की एल.टी. लाईन से सीधे तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुये पाया गया। इस संबंध में अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम

2003 की धारा 138 का आरोप लगाया गया है।

**02.** परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी श्री हरीश मेहता, जो कि म०प्र०म०क्षे० विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मालनपुर, जिला भिण्ड में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ होकर परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता श्रीकृष्ण जाटव पुत्र गोधन सिंह जाटव को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-4984 घरेलू उपयोग हेतु दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की बकाया राशि रूपए 62,850/- रूपए होने से और बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 20.07.2012 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस प्र०पी०-1 भेजा गया था। तत्पश्चात् दिनांक 07.08.2012 को उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया और विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश नोटिस प्र०पी०-2 अनुसार उपभोक्ता को दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16.08.2012 को दोपहर 11:40 बजे, अभियुक्त के घर जाटव मोहल्ला पुरानी बस्ती थाना मालनपुर में परिवादी हरीश मेहता कनिष्ठ यंत्री, अनिल गर्ग, रामराज व लाखन सिंह लाईन हैल्पर के साथ उक्त विद्युत कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पाया कि अभियुक्त श्रीकृष्ण के द्वारा उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से मण्डल की एल.टी. लाईन से पी०वी०सी० के सफेद तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाये जाने पर उक्त संबंध में पंचनामा प्र०पी०-3 तैयार किया गया जिस पर टीम के सदस्यों ने हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादी पक्ष की ओर से परिवाद पत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

**03.** परिवाद प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाने के संबंध में पर्याप्त आधार दर्शित होने से उसके विरुद्ध उक्त धारा के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया। तत्पश्चात् परिवाद के समर्थन में स्वयं परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 एवं साक्षी रामराज सिंह प०सा०-2 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुये बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :**

01. क्या अभियुक्त श्रीकृष्ण के द्वारा दिनांक 16.08.12 को करीब 11:40 बजे, जाटव मोहल्ला पुरानी वस्ती मालनपुर में प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-4984, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अप्राधिकृत रूप से पुनः एल.टी.लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था ?
02. दण्डादेश यदि कोई हो ?

**// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //**

05. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक 20.07.12 को म०प्र०म०क्षे०वि० कंपनी मालनपुर में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा विद्युत उपभोक्ता श्रीकृष्ण जाटव पुत्र गोधन जाटव को घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 71-1-4984 पर 62,850/- रुपये बकाया राशि होने से धारा 56 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया, जो प्र०पी०-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त नोटिस कर्मचारी अनिल गर्ग द्वारा तामीली हेतु अभियुक्त श्रीकृष्ण को दिया गया था। तत्पश्चात् बकाया राशि जमा न करने के कारण दिनांक 07.08.12 को अस्थायी रूप से कनेक्शन विच्छेदित किया गया एवं उक्त आशय का नोटिस प्र०पी०-2 उसके द्वारा कर्मचारी अनिल गर्ग को वितरित करने हेतु दिया गया, जो अभियुक्त श्रीकृष्ण द्वारा प्राप्त किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 16.08.12 को निरीक्षण के दौरान कटे हुये कनेक्शन को विद्युत लाईन से दोबारा जोड़कर विद्युत का अप्राधिकृत रूप से उपयोग करते पाया गया, जिसका मौके पर पंचनामा बनाया गया जो प्र०पी०-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उस समय उसके साथ कर्मचारी अनिल गर्ग, लाखन सिंह व रामराज सिंह तोमर मौजूद थे। पंचनामे पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर कराये गये जो बी से बी भाग पर हैं। मौके पर पी०वी०सी० सफेद रंग के दो तार 40 मीटर के जप्त किये गये थे।

06. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी हरीश मेहता प०सा०-1 का कहना है कि प्र०पी०-1 का नोटिस उसके द्वारा 20.07.12 को जारी किया गया था। यह सही है कि उसके हस्ताक्षर के नीचे

दिनांक अंकित नहीं है। कोई भी नोटिस विभाग से आवक-जावक के बाद ही निकलता है। श्रीकृष्ण को नोटिस तामील कराने अनिल गर्ग गये थे किस तारीख को दिया गया उसे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि प्र0पी0-2 पर भी उसके हस्ताक्षर के नीचे कोई दिनांक अंकित नहीं है। प्र0पी0-1 व प्र0पी0-2 के नोटिस की तामील के संबंध में अनिल गर्ग को ही जानकारी है। अनिल गर्ग द्वारा श्रीकृष्ण को नोटिस कब तामील कराया इस बात का उल्लेख प्र0पी0-1 व प्र0पी0-2 में नहीं है। श्रीकृष्ण के आसपास रणवीर जाटव, मोहर सिंह व वासुदेव के मकान हैं। मौके पर उनके अलावा मोहल्ले के तीन-चार लोग थे। यह बात सही है कि प्र0पी0-3 के पंचनामा पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। उसके द्वारा पंचनामा बनाने से पहले जाटव मोहल्ला का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या मालनपुर का सरपंच या उस वार्ड के प्रतिनिधि को सूचना नहीं दी थी। यह सही है कि प्र0पी0-3 पर विद्युत कर्मचारियों के ही हस्ताक्षर हैं। यह सही है कि नक्शामौका में उसके द्वारा संबंधित पोल जिससे विद्युत का उपयोग किया जा रहा था, का उल्लेख नहीं किया है। उसके द्वारा पीवीसी के 40 फुट तार जप्त किये थे जो न्यायालय में पेश नहीं किये हैं। यह कहना गलत है कि उसके विभाग से कर्मचारी श्रीकृष्ण को बुलाने की सूचना उसके घर पर दे आये थे और बाद में श्रीकृष्ण कार्यालय पर आया था। यह सही है कि श्रीकृष्ण द्वारा तार डालकर कोई विद्युत चोरी नहीं की जा रही थी।

**07.** परिवारी साक्षी लाईन हेल्पर रामराज सिंह प0सा0-2 का कहना है कि वह दिनांक 16.02.12 को म0प्र0म0क्षे0वि0 वितरण कंपनी मालनपुर में लाईन हेल्पर के पद पर पदस्थ था। कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता के साथ चैकिंग हेतु अभियुक्त के यहां जाटव मोहल्ला मालनपुर स्थित परिसर पर समय करीब 12 बजे गये थे। जहां पाया कि अभियुक्त के कनेक्शन पर बकाया राशि होने के कारण विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया था, जिसे अभियुक्त कटे हुये कनेक्शन को पुनः जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया जा रहा था जिसका मौके पर पंचनामा बनाया गया जो प्र0पी0-3 है।

**08.** प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि वह, अनिल और मेहता जी पंचनामा बनाने के लिये गये थे और वे अभियुक्त के यहां 12 बजे पहुंच गये थे और वहां श्रीकृष्ण मिला था। श्रीकृष्ण के आसपास किस किस के मकान बने हैं वह नहीं बता सकता। मोहल्ले से कोई भी नहीं आया



था। घटनास्थल पर लिखापढ़ी में करीब 10-20 मिनट लगे थे। प्र०पी०-3 की लिखापढ़ी पर उसने हस्ताक्षर किये थे, लेकिन उस पर क्या लिखा था उसे नहीं पता, क्योंकि वह पढ़ा-लिखा नहीं है। उसे याद नहीं है कि प्र०पी०-3 की लिखापढ़ी पढ़कर सुनाई थी या नहीं। उसने तो केवल हस्ताक्षर कर दिये थे। यह कहना गलत है कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

**09.** इस प्रकार विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि परिवादी हरीश मेहता प०सा० 1 ने अपने कथनों में दिनांक 16.08.12 को म०प्र०म०क्षे०वि०वि०क०लि० मालनपुर में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ रहते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण अनिल गर्ग, लाखन सिंह व रामराज सिंह के साथ किये गये निरीक्षण के दौरान कटे हुये कनेक्शन को विद्युत लाईन से दोबारा जोड़कर विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग करना पाये जाने पर मौके पर प्र०पी०-3 का पंचनामा बनाते हुये उपभोक्ता के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर कराये जाना बताया है एवं मौके पर से सफेद रंग के पी०वी०सी० के दो तार 40 मीटर लंबे जप्त करना बताया है तथा उस समय मौके पर मोहल्ले के तीन-चार लोगों को भी उपस्थित होना बताया है, जबकि हमराह लाईनमैन रामराज सिंह प०सा०-2 का अपने कथनों में कहना है कि दिनांक 16.02.12 को वह म०प्र०म०क्षे०वि० वितरण कंपनी मालनपुर पर लाईन हेल्पर के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसे एवं अनिल गर्ग को साथ में लेकर कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा कटे हुये कनेक्शन को पुनः जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुये पाये जाने पर मौके का पंचनामा प्र०पी०-3 बनाया जाना बताया है तथा मौके पर मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति को उपस्थित नहीं होना बताया है एवं मौके पर से तार जप्त किये जाने के संबंध में उक्त साक्षी ने अपने कथनों में कुछ भी प्रकटन नहीं किया है।

**10.** इस प्रकार परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारी रामराज सिंह प०सा०-2 के कथनों में उपरोक्तानुसार महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभाष होना पाया जाता है, क्योंकि परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत घटना दिनांक 16.08.12 की अर्थात् माह अगस्त 2012 की होना बताया है, जबकि परिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी लाइनमैन रामराज

सिंह प०सा०-2 ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत घटना दिनांक 16.02.12 की अर्थात् माह फरवरी 2012 की होना बताया है। इसी प्रकार परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 का कहना है कि प्रश्नगत चैकिंग के लिये उसके साथ अधीनस्थ कर्मचारीगण अनिल गर्ग, लाखन सिंह व रामराज सिंह अर्थात् परिवादी कंपनी के कुल 4 लोग गये थे एवं निरीक्षण व पंचनामा की कार्यवाही के समय वे मौके पर मोहल्ले के भी तीन-चार लोग उपस्थित थे, जबकि हमराही लाइनमैन रामराज सिंह प०सा०-2 का कहना है कि मौके पर प्रश्नगत निरीक्षण के लिये वह स्वयं, कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता व लाइनमैन अनिल गर्ग अर्थात् परिवादी कंपनी के कुल 3 लोग गये थे और उस समय अर्थात् निरीक्षण व पंचनामा की कार्यवाही के समय मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था।

**11.** इसी प्रकार परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 का अपने कथनों में कहना है कि मौके पर से पी०वी०सी० सफेद रंग के दो तार लंबाई 40 मीटर के जप्त किये थे, लेकिन इस साक्षी के उक्त कथनों का रंचमात्र भी समर्थन हमराह लाइनमैन एवं परिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी रामराज सिंह प०सा०-2 के कथनों से भी होना नहीं पाया जाता है तथा लाइनमैन रामराज सिंह प०सा०-2 का कहना है कि उसने निरीक्षण के समय अभियुक्त को अवैध रूप से तार जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते पाया था, जबकि स्वयं परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 का अपने कथनों में स्पष्ट रूप से ऐसा कहना नहीं है कि उन्होंने प्रश्नगत निरीक्षण के समय अभियुक्त को परिवादी पक्ष के विद्युत लाईन से दोबारा तार को जोड़कर अप्राधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते हुये पाया था, बल्कि उक्त महत्वपूर्ण साक्षी का यही कहना है कि दिनांक 16.08.12 को निरीक्षण के दौरान कटे हुये कनेक्शन को विद्युत लाईन से दोबारा जोड़कर विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग पाया गया एवं मौके पर प्र०पी०-3 का पंचनामा बनाते हुये उस पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर कराये गये थे। परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 अपने कथनों में जप्तशुदा तार की लंबाई के बिंदु पर भी दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं है, क्योंकि उसने अपने मुख्य परीक्षण में अपने इस मामले के विपरीत जप्तशुदा दो तार की लंबाई 40 मीटर होना बताया है, वहीं प्रतिपरीक्षण के दौरान जप्तशुदा दोनों तार की लंबाई 40 फिट होना बताया है और उक्त साक्षी के कथनों के दौरान जप्तशुदा तार को परिवादी पक्ष की ओर से प्रदर्शित भी नहीं कराया गया है एवं मौके का

पंचनामा प्र०पी०-3 में भी जप्तशुदा तार की लंबाई कहीं 40 फिट होना तो कहीं 50 फिट होना लेख किया गया है एवं उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज प्र०पी०-3 के मौका नक्शा में अभियुक्त का मकान तो दर्शाया गया है, लेकिन उसके मकान से परिवादी कंपनी के एल.टी. लाईन तक विद्युत के तार डले होने को बिल्कुल भी नहीं दर्शाया गया है। अतः उक्त आधारों पर भी मामले में परिवादी पक्ष के विपरीत उपधारणा होती है।

**12.** परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 का कहना है कि प्रश्नगत निरीक्षण व पंचनामा की कार्यवाही के समय घटनास्थल जाटव मोहल्ले के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या मालनपुर का सरपंच या वार्ड के प्रतिनिधि को सूचना नहीं दी थी और यह स्वीकार किया है कि मौके का पंचनामा प्र०पी०-3 पर उसने केवल विद्युत कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराये थे, जबकि प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 3 में ही उक्त साक्षी का यह स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रश्नगत घटना के समय अर्थात् निरीक्षण व पंचनामा की कार्यवाही के समय उनके विभाग के अलावा मोहल्ले के तीन-चार लोग भी उपस्थित थे एवं हमराही लाइनमैन रामराज सिंह प०सा०-2 का परिवादी पक्ष के इस मामले के विपरीत कहना है कि प्र०पी०-3 के पंचनामा में क्या लिखा था उसे पता नहीं है और उसे नहीं मालूम कि प्र०पी०-3 की लिखापढ़ी उसे पढ़कर सुनाई गई थी या नहीं, बल्कि उसका कहना है कि उसके तो मात्र प्र०पी०-3 की लिखापढ़ी पर हस्ताक्षर भर करा लिये थे। अतः यह स्पष्ट है कि परिवादी हरीश मेहता द्वारा मौके पर जिस प्रकार से कार्यवाही की जा रही थी उसे तत्समय जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा अनाधिकृत रूप से एल०टी० लाईन से तार जोड़े हुए पाये जाने के संबंध में परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 के उक्त कथनों सहित उसके द्वारा संपादित प्रश्नगत कार्यवाही विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं पाये जाने के कारण अभियुक्त पक्ष द्वारा मामले में झूठा फसाये जाने विषयक लिये गये बचाव के सही होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

**13.** दांडिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला प्रत्येक दशा में संदेह से परे प्रमाणित किया जाना होता है और जहाँ अभियुक्त के द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में संदेह है, वहाँ हमेशा अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का अधिकारी है और

प्रश्नगत प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

**14.** परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभिलेख पर प्रकट सारवान एवं महत्वपूर्ण विरोधाभाष, विलोपन एवं विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुये युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त श्रीकृष्ण के द्वारा दिनांक 16.08.12 को करीब 11:40 बजे, जाटव मोहल्ला पुरानी वस्ती मालनपुर में प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-4984, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अप्राधिकृत रूप से पुनः एल.टी.लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था। तदनुसार अभियुक्त श्रीकृष्ण को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अपराध आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

**15.** प्रकरण में जप्तशुदा दोनों तार मूल्यहीन प्रकट होने से अपील अवधि पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में नष्ट हों। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
विशेष न्यायाधीश,  
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद  
जिला भिण्ड म०प्र०

(सतीश कुमार गुप्ता)  
विशेष न्यायाधीश,  
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद  
जिला भिण्ड म०प्र०